27/7/19

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा
कण्ट्रोलेंस / कार्य का बहिष्कार करने पर
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/7/19 पेश हुई

30/7/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अपीलण्ट। प्रतिवादी वकील उपस्थित। वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत दावा विद्या किये जाने अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 CPC का पेश किया जो शामिल रहे। पत्रावली दिनांक 31/7/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

31/7/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अपीलण्ट। दिनांक 30/7/19 को एवं वादी अपीलण्ट। जिसकी पहचान उसके अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 023R1 सपठित धारा 151 CPC में अंकित किया कि पक्षकारों के मध्य वाह्मी तौर पर समझौता / राजीनामा हो चुका है वाद को आगे चलाना नहीं चाहता है। इसी स्तर पर वाद को विड्रा किया जाकर खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन करते व वादी को सुनने के उपरान्त प्रस्तुत प्रार्थना 023R1 CPC को स्वीकार किया जाकर वाद को विड्रा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाबकर के का हो। वाद प्रति दाखिल उपखण्ड

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.21 15:07:38 IST
Reason: SelfAttested